न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

पीठासीन अधिकारीः लोकेश कुमार मीना, अति0 जिला मजिस्ट्रेट दौसा

प्रकरण संख्या : 09/2019, गुण्डा एक्ट

1. सरकार जरिये पुलिस अधीक्षक, दौसा जिला दौसा ।

बनाम

1. गैर सायल रोशन पुत्र रामुलाल जाति हरिजन निवासी अम्बेडकर कॉलोनी खटीकान मौहल्ला दौसा थाना कोतवाली दौसा।

कार्यवाही अन्तर्गत धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975

उपस्थिति : लोक अभियोजक – पैरोकार सरकार ।
: श्री पूरणचन्द महावर – अधिवक्ता गैर सायल ।

–: निर्णय :– दिनांकः– 04.03.2020

प्रस्तुत इस्तगासा थानाधिकारी पुलिस थाना कोतवाली जिला दौसा की ओर से पुलिस अधीक्षक दौसा के जरिये प्राप्त होकर सुनवाई के लिए इस न्यायालय में दर्ज किया गया। मुताबिक इस्तगासा संक्षिप्त वाक्यात इस प्रकार से है कि गैर सायल रोशन पुत्र रामुलाल जाति हरिजन उम्र 42 वर्ष निवासी अम्बेडकर कॉलोनी खटीकान मौहल्ला दौसा पर निम्नलिखित मुकदमे दर्ज होकर चालान अदालत में पेश हुआ है तथा अदालत से सजा(जुर्माना) हुआ है।

1. मु. सं. 108/12 दिनांक 11.3.2012 धारा 13 RPGO सजा 23.03.2012
2. मु. सं. 101/13 दिनांक 18.2.2013 धारा 13 RPGO सजा 28.02.2013
3. मु. सं. 396/13 दिनांक 02.07.2013 धारा 13 RPGO सजा 26.09.2014

उक्त शख्स रोशन पुत्र रामुलाल जाति हरिजन जुआ, सट्टा खेलने का आदि है जो जुआ–सट्टा करने एवं कराने के दुष्प्रेरण में लगा हुआ है, जिससे इलाके में व्यक्तियो की सम्पत्ति का नुकसान हो रहा है व समाज में नई पीढी पर गलत असर पड रहा है। उक्त गैर सायल को राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 2(ख) 5 के अन्तर्गत गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के तहत जिले से निष्कासन की कार्यवाही करने का निवेदन किया गया है।

इस्तगासा दर्ज कर गैर सायल को नोटिस जारी किये गये। गैर सायल स्वयं उपस्थित आया। अधिवक्ता गैर सायल द्वारा जवाब इस्तगासा प्रस्तुत किया गया एवं अधिवक्ता गैर सायल एवं लोक अभियोजक की बहस सुनी गई।

लोक अभियोजक द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया गया की गैर सायल के विरूद्ध तीन मुकदमे थाना कोतवाली में दर्ज होकर गैर सायल को सजा हो चुकी है। उक्त शख्स आदतन रूप से इलाके में जुआं सट्टा खेलने का आदि है। जिससे इलाके में व्यक्तियों की सम्पत्ति को नुकसान हो रहा है।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

गैरसायल कोतवाली थाना क्षेत्र दौसा में आपराधिक प्रवृतियों मे लिप्त रहने एवं शान्ति भंग करने का आरोपी है एवं गैर सायल की उक्त प्रवृतियों के कारण समाज में नई पीढी पर गलत असर पड़ रहा है। गैर सायल के उक्त कृत्यों के कारण सार्वजनिक स्थानों पर भय व्याप्त है। गैर सायल अपनी आपराधिक गतिविधियों के कारण गैर सायल रोशन पुत्र रामुलाल जाति हरिजन को राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के तहत गुण्डा की श्रेणी में आता है। गैर सायल रोशन पुत्र रामुलाल जाति हरिजन को जनहित में दौसा जिले की सीमाओं से निष्कासित किया जाना आवश्यक है।

जवाब बहस में अधिवक्ता गैर सायल ने तर्क दिया कि प्रार्थी उक्त एक्ट की श्रेणी में नहीं आता है। प्रार्थी जाति से हरिजन है एवं सफाई का कार्य करता है। प्रार्थी गरीब तथा बाल बच्चेदार व्यक्ति है। प्रार्थी के खिलाफ जो भी मुकदमे चले है, वे सभी साधारण किस्म के मुकदमे है। कोई संगीन किस्म के मुकदमे नहीं है। 2013 के पश्चात् किसी प्रकार के मुकदमे प्रार्थी के विरूद्ध दर्ज नहीं है। प्रार्थी के विरूद्ध दर्ज अभियोगो में कोई भी अभियोग गंभीर प्रवृति के नही है। गैर सायल के विरूद्ध केवल मात्र साधारण प्रकृति के धारा RPGO के प्रकरण दर्ज है जिनमें सभी मुकदमों का फैसला आ चुका है। प्रार्थी एक सामाजिक प्राणी है और शान्तिपूर्वक जीवन व्यतीत करता है। अधिवक्ता गैर सायल द्वारा कार्यवाही ड्रोप फरमायी जाकर इस्तगासा खारिज फरमाये जाने का निवेदन किया।

बहस लोक अभियोजक व अधिवक्ता गैर सायल पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया । प्रस्तुत इस्तगासा अनुसार गैर सायल रोशन पुत्र रामुलाल जाति हरिजन उम्र 42 वर्ष निवासी अम्बेडकर कॉलोनी खटीकान मौहल्ला दौसा उक्त अधिनियम के तहत गुण्डा की श्रेणी में आता है। वर्तमान में जिले में कानून व्यवस्था की स्थिति को ध्यान में रखते हुए समाज में सद्भावना एवं शान्ति बनाए रखने के उद्देश्य से ऐसे अपराधियों के विरूद्ध कार्यवाही किया जाना आवश्यक है ताकि ऐसे अपराधी अपनी कार गुजारियों के द्वारा माहौल को खराब नहीं कर सके।

उपरोक्त विवेचनानुसार इस्तगाासा स्वीकार किया जाकर गैर सायल रोशन पुत्र रामुलाल जाति हरिजन उम्र 42 वर्ष निवासी अम्बेडकर कॉलोनी खटीकान मौहल्ला दौसा को दिनांक 6.3.2020 से 30 दिवस की समयावधि के लिए दौसा जिले की सीमाओं से निष्कासित किया जाता है एवं निर्देशित किया जाता है कि गैर सायल दौसा से जयपुर के रास्ते होते हुए थाना बस्सी जिला जयपुर पहुंचेगा तथा अपनी उपस्थिति थानाधिकारी बस्सी जिला जयपुर को दर्ज करवाएगा। निष्कासित समयावधि में थाना क्षेत्र बस्सी जिला जयपुर में निवास करते हुए प्रत्येक बुधवार को थाना अधिकारी बस्सी जिला जयपुर के समक्ष अपनी उपस्थिति देगा। पुलिस अधीक्षक दौसा एवं जयपुर ग्रामीण उक्त आदेश की पालना सुनिश्चित करावें। संबंधित को आदेश की प्रति भिजवाई जावे ।

यह निर्णय आज दिनांक 04.03.2020 को खुले इजलास में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(लोकेश कुमार मीना)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा